दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायससाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, गुरूवार 14 नवम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 47

महत्वपूर्ण एवं खास

आईआईटी हॉस्टल के 5वें फ्लोर से गिरी छात्रा, आत्महत्या की आशंका

नईदिल्ली (आरएनएस)। राजधानी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक 18 वर्षीय छात्रा हॉस्टल के पांचवें फ्लोर से गिर गई. इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई. पुलिस को आशंका है कि उसने आत्महत्या की है. वहीं, छात्रा की मां ने कहा है कि पढ़ाई को लेकर उनकी बेटी काफी तनाव में रहती थी. बताया जा रहा है कि छात्रा हॉस्टल के पांचवें माले से नीचे गिरी. पुलिस ने बताया कि 8 नवंबर शाम 6 बजे एम्स के ट्रॉमा सेंटर से उनके पास फोन आया और जानकारी दी गई कि एक छात्रा गंभीर हालत में भर्ती करवाई गई है. बाद में छात्रा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने बताया कि मृतका की मां ने कहा कि उनकी बेटी पढ़ाई को लेकर काफी दिनों से तनाव में थी. जिस दिन हादसा हुआ उस दोपहर वह घर भी आई थी और शाम तक वहीं रुकी थी. उसी शाम को वह होस्टल की बिल्डिंग से गिर गई.

ऑड-ईवन योजना पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑड-ईवन (सम-विषम) योजना पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और केंद्र, दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिल्ली में इस साल अक्टूबर की शुरुआत से 14 नवंबर तक के प्रदूषण स्तर और पिछले साल की इसी अवधि के दौरान के आंकड़े पेश करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा, ष्हमें प्रदूषण का नवंबर तक का आंकड़ा चाहिए, और हमें पिछले साल का भी आंकड़ा चाहिए। दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन योजना के खिलाफकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया। सरकार का दावा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में इस योजना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

कोर्ट ने संशोधित वित्त अधिनियम 2017 के नियमों को किया रद्द

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने संशोधित वित्त अधिनियम 2017 में नियमों को बुधवार को रद्द कर दिया और सरकार को न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में फिर से नये मानक तय करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कानून मंत्रालय को पूर्ण अध्ययन करने और शीर्ष अदालत को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायाधिकरणों में नियुक्ति संबंधित कानूनों के अनुसार ही होनी चाहिए।

कुलभूषण जाधव को लेकर नया कदम उठाने की तैयारी में पाक

» सिविल कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है केस

इस्लामाबाद। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान बड़ा फैसले लेने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक जाधव के केस को आर्मी कोर्ट की बजाय सिविल कोर्ट में चलाने के लिए आर्मी एक्ट में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद जाधव को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सिविलियन कोर्ट में अपील करना होगा। इसके लिए पाकिस्तान को अपने सेना अधिनियम में संशोधन करना होगा। पाक मीडिया के सूत्रों के मुताबिक पाक सेना अधिनियम में विशेष संशोधन करने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पिछले महीने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी। इससे पहले 31 अक्तूबर को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष जज अब्दुलकवी युसूफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया था कि पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में वियना संधि के तहत पाकिस्तान अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। उन्होंने 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने आईसीजे की रिपोर्ट को पेश किया। युसूफ ने अपने 17 जुलाई को आए फैसले में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग ने पाकिस्तान को वियना संधि के नियम 36 के तहत अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है।

कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों को मिली उप चुनाव लड़ने की अनुमति

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के अयोग्य करार दिए गए 17 विधायकों को राहत प्रदान करते हुए चुनाव लड़ने के आदेश दे दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने 17 विधायकों को चुनाव लडने से अयोग्य करार दे दिया था। इन अयोग्य 17 विधायकों में 14 विधायक कांग्रेस और 3 विधायक जेडीएस के हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें फैसला दिया गया है कि सभी 17 विधायक उपचुनाव लड़ सकते हैं। कल से हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाले हैं। हम सभी 17 सीटें 101 प्रतिशत जीतने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट

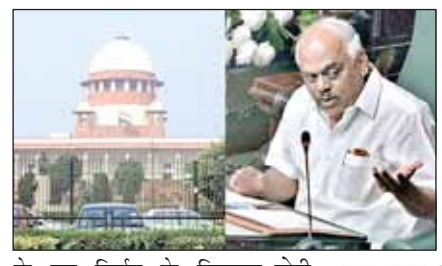

के इस निर्णय के खिलाफ मोदी सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि क्या राजनीति की शुचिता की रोज दुहाई देने वाले मोदी जी अब 'नाजायज' येदयुरप्पा सरकार को बर्खास्त करने का साहस दिखाएंगे? क्या 'ऑपरेशन कमल' की निष्पक्ष जांच होगी? और क्या येदयुरप्पा व अमित शाह की भूमिका की जांच होगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने को सही ठहराया गया है। अर्थात कांग्रेस और जेडीएस के ये 17 विधायक अब अयोग्य साबित हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से विधायकों को कुछ राहत भी मिल गई है, जिसके तहत सभी दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे।

5 दिसंबर को होने हैं उपचुनाव

इन विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की वजह से 17 में से 15 सीटों के लिए पांच दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं। अयोग्य विधायकों ने अपनी याचिका में 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी। विधायकों का कहना था कि उपचुनाव तब तक नहीं होने चाहिए, जब तक कि उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न आ जाए।

कर्नाटक विधानसभा का गणित

कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के पास 105 विधायक हैं जबकि एक निर्दलीय विधायक ने समर्थन दिया है। वहीं विपक्ष (कांग्रेस़जेडीएस़बीएसपी) के पास कुल 101 सीटें हैं। इसमें कांग्रेस के पास 66, जेडीएस के पास 34 और बीएसपी के पास 1 सीट है। इन 17 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव से पहले पाला बदलते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से तत्कालीन स्पीकर आर रमेश कुमार ने इन्हें अयोग्य ठहरा दिया था।

अब आरटीआई कानून के दायरे में होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर

» सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर भी सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसले में कहा कि मुख्य न्यायाधीश (सीजीआई) का दफ्तर सार्वजनिक कार्यालय है, इसलिए यह आरटीआई के दायरे में आएगा।

सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सीजेआई दफ्तर सार्वजनिक कार्यालय है इसलिए यह आरटीआई के दायरे में आएगा। पीठ ने कहा कि सीजीआई दफ्तर सार्वजनिक कार्यालय है। पीठ में सीजेआई समेत जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव

खन्ना उस याचिका पर अपना फैसला सुनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के महासचिव ने दिल्ली हाईकोर्ट के जनवरी 2010 में आए फैसले को चुनौती दी थी।

क्या कहा था दिल्ली हाईकोर्ट ने?

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सीजेआई का दफ्तर एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और इसे सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। पीठ ने इस साल अप्रैल में इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजेआई रंजन गोगोई ने पहले यह कहा था कि पारदर्शिता के नाम पर एक संस्था को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।

पाक ने फिर तोड़ा सीजफायर, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब

» 4 पाक सैनिक ढेर-कई चौकिंया तबाह

जम्मू (आरएनएस)। पाकिस्तान की सेना ने बुधवार को एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तान की सेना ने बिना किसी उकसावे के राजौरी जिले के केरी सेक्टर में करीब सात बजे छोटे हथियारों से गोलीबारी कर और मोर्टार दाग कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना की

गोलीबारी का भारतीय सेना भी माकूल जवाब दे रही है। गोलीबारी में अभी तक किसी भी तरह का कोई नुक्सान या क्षति नहीं हुयी है।

पाकिस्तान ने मंगलार को भी जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में बिना किसी उकसावे की गोलीबारी की थी और इससे पहले आठ नवंबर को भी पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था जिसमें एक जवान शहीद हो गया था।

ब्रिक्स सम्मेलन के लिए ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी

» आतंक विरोधी सहयोग पर रहेगा फोकस

ब्राजील। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत के लिए ब्राजील पहुंच चुके हैं। इस सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की मुलाकात ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं से होगी। इस मुलाकात का विषय मौजूदा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सम्प्रभुता होगा। इसके बाद होने वाली ब्रिक्स की प्लेनरी मीटिंग में पांचों नेता आपसी कारोबार बढ़ाने

के उपायों पर चर्चा करेंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि वह व्यापक सहयोग के विभिन्न मुद्दे पर चारों देशों के नेताओं के साथ चर्चा करने को लेकर आशान्वित हैं। उन्होंने कहा कि वह ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर. एम. बोल्सनारो के साथ भारत- ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के तरीकों पर उनसे चर्चा करेंगे।

मोदी ने ट्वीट कर कहा, मैं इस वर्ष 13 और 14 नवंबर को ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। सम्मेलन का थीम नवाचार भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि है। मैं ब्रिक्स नेताओं के साथ विविध विषयों पर व्यापक सहयोग के संबंध में चर्चा को लेकर आशान्वित हूं।

उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन से इतर, वह ब्रिक्स व्यापार फॉरम को संबोधित करेंगे और इसके साथ ब्रिक्स व्यापार परिषद और न्यू डवलपमेंट बैंक के अधिकारियों से संवाद करेंगे।

ब्रिक्स विश्व की पांच उभरती अर्थव्यवस्था के संघ का एक शीर्षक है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

» तीन तलाक को चुनौती देने वाली याचिका

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने तीन बार तलाक कह कर पत्नी से अलग होने को दंडनीय अपराध बनाने के कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) की याचिका पर केंद्र से बुधवार को जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की याचिका मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दी। यह अधिनियम तलाक ए बिद्दत और मुस्लिम पति द्वारा दिए गए किसी भी फौरी तलाक को अमान्य करार देता है और इसे और गैर कानूनी बनाता है। पीठ ने सीरथ उन नबी अकादमी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात पर नाराजगी जताई कि विभिन्न लोगों और संगठनों ने बड़ी संख्या में रिट याचिकाएं दायर कर रखी हैं । पीठ ने कहा कि एक बार में तीन तलाक के मुद्दे पर 20 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं। पीठ ने अकादमी के वकील से जानना चाहा कि एक ही मुद्दे पर कितनी याचिकाएं दायर की जायेंगी। प्रत्येक मामले में अधिसूचना आती है और आप सभी जनहित याचिका लेकर आ जाते हैं। इस समय तीन तलाक के मसले पर 20 से अधिक याचिकायें लंबित हैं। क्या हमें 100 याचिकाओं को संलग्न कर देना चाहिए और इन पर सौ साल तक सुनवाई करनी चाहिए ? हम एक ही मसले पर 100 याचिकाओं को नहीं सुन सकते। एआईएमपीएलबी और कमाल फारुकी की याचिका में कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने अगस्त 2017 में 'तलाक, तलाक, तलाक' कह कर पत्नी से अलग होनेकी परंपरा को खत्म कर दिया था। इससे संबंधित कानून संसद ने 30 जुलाई को पारित किया था। शीर्ष अदालत ने अगस्त 2017 में तीन बार तलाक कह कर अलग होने के चलन को असंवैधानिक करार दे दिया था।

चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक बढ़ी

» वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हुई पेशी

नई दिल्ली (आरएनएस)। आइएनएक्स मीडिया केस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक बढ़ा दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम को जल्द ही दिल्ली की एक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।

गौरतलब है कि पी चिदंबरम की न्यायिक हिसारत की अवधि आज समाप्त हो रही थी ऐसे में उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंक के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने उनकी

न्यायिक हिरासत आगे बढ़ा दी है। इससे पहले आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के नेता और पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। इसके साथ-साथ कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया था जिसमें एजेंसी ने एक और दिन की रिमांड मांगी थी। पूर्व वित्त मंत्री प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे। पिछले इससे पहले कोर्ट ने पी चिदंबरम को 30 अक्टूबर तक के लिए ईडी के हिरासत में भेजा था।

पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन से गाड़ी चलाने का ढूंढें उपाय

» प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली-एनसीआर की दम घोंटू हवा और प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई. शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को हाइड्रोजन आधारित फ्यूल टेक्नोलॉजी खोजने को कहा है, ताकि जानलेवा वायु प्रदूषण का स्तर और असर कम करने के लिए कोई समाधान निकाला जा सके. कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि जापान ने इसी टेक्नोलॉजी के जरिए प्रदूषण का स्तर कम किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से 3 दिसंबर तक जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को कम करने में नाकाम रही सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, नई दिल्ली समेत उत्तरी भारत के

अन्य हिस्सों में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि लोगों का सांस लेना दूभर है. ऐसे में केंद्र सरकार देखे कि क्या पेट्रोल के बजाय हाइड्रोजन आधारित फ्यूल टेक्नोलॉजी एक समाधान के रूप में कारगर साबित हो सकती है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच ने कहा, प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए सरकार ने थोड़े-बहुत निर्णायक प्रयास किए हैं, लेकिन अब समस्या के समाधान के लिए कुछ बड़े उपाय तलाशने होंगे. पूरा उत्तरी भारत... एनसीआर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है.

भाजपा को मिला अन्य छह राष्ट्रीय दलों से तिगुना चंदा

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 20 हजार रुपये से अधिक के दान में 743 करोड़ रुपये मिले। भाजपा को मिली यह राशि कांग्रेस समेत छह राष्ट्रीय दलों के चंदे की राशि से तीन गुना अधिक है।

रिपोर्ट के अनुसार, 31 अक्तूबर को चुनाव आयोग के सामने दायर हलफनामे में भाजपा ने इस बात का खुलासा किया था। इस जानकारी को सोमवार को सार्वजनिक किया गया। भाजपा को प्राप्त 743 करोड़ रुपये की राशि कांग्रेस सहित अन्य सभी छह राष्ट्रीय दलों को इस तरह के मिले दान में प्राप्त संयुक्त राशि से तीन गुना अधिक है। कांग्रेस को चुनावी दान में

147 करोड़ रुपये मिले हैं। यह राशि भाजपा को मिले चंदे का सिर्फपांचवा हिस्सा ही है। भाजपा को साल 2018-19 में सबसे ज्यादा दान प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट द्वारा दिया गया। इसने भाजपा को 357 करोड़ की राशि चंदे में दी।

क्या है चुनावी बॉन्ड स्कीम- चुनावी बॉन्ड व्यवस्था की घोषणा सरकार ने साल 2017 के बजट में की गई थी। इस साल के बजट ने लोगों को अपने पसंदीदा राजनीतिक दल के साथ जुड़ने का एक नया तरीका पेश किया। चुनावी बॉन्ड न तो टैक्स में छूट देते हैं और न ही ब्याज कमाने का साधन हैं। इसे चुनावी फंडिंग में सुधार के तरीके के रूप में प्रस्तावित किया गया है। निश्चित पार्टियों के लिए एक अधिसूचित बैंक द्वारा चुनावी बॉन्ड जारी किए जाएंगे। यदि आप किसी राजनीतिक पार्टी को दान या चंदा देने के इच्छुक हैं, तो आप इन बॉन्ड को डिजिटल रूप से या चेक के माध्यम से भुगतान करके खरीद सकते हैं। फिर आप एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को उपहार या चंदा देने के लिए स्वतंत्र हैं। बॉन्ड संभावित रूप से वाहक बॉन्ड होंगे और देने वाले की पहचान सार्वजनिक नहीं होगी। यहां तक की चंदा प्राप्त कर रही पार्टी को भी दानदाता के बारे में पता नहीं चलेगा। संबंधित पार्टी इन बॉन्ड को अपने बैंक खातों के माध्यम से रुपये में बदल सकती है। इसके लिए उपयोग किए गए बैंक खाते की जानकारी चुनाव आयोग को देना अनिवार्य है। बॉन्ड को एक निश्चित समय अवधि के भीतर ही बैंक में जमा किया जा सकता है। विलंब होने पर इसका भुगतान नहीं हो सकता। इन बॉन्ड में भुगतान होने की समय सीमा निश्चित होती है। केवल भारतीय रिजर्व बैंक को ही इन बॉन्डों को जारी करने की अनुमति है, जिन्हें अधिसूचित बैंकों के माध्यम से बेचा जा रहा है।